अनुबन्ध खेती को बढ़ावा देने हेतु विधेयक के प्रस्तावित आलेख पर सुझाव आमंत्रित

किसान की छोटी जोतों पर आधुनिक कृषि तकनीकी अपनाने, बाजार जोखिम एवं प्राकृतिक आपदा से संरक्षण देते हुए उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने एवं प्रायोजक को अपेक्षित गुणवत्ता एवं मात्रा में कच्चा माल उचित मूल्य पर समय से उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार के मॉडल अनुबन्ध खेती अधिनियम 2018 के आधार पर ''उत्तर प्रदेश कृषि उपज और पशुधन अनुबन्ध खेती और सेवायें (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2020 प्रस्तावित है।

2. प्रदेश में अनुबन्ध खेती से सम्बन्धित पक्षों की कार्यशाला मण्डी भवन, लखनऊ में आयोजित की गयी जिसमें एफ0पी0ओ0, प्रगतिशील कृषकों, निर्यातकों एवं प्रसंस्करणकर्ताओं एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रतिभागियों में महाराष्ट्र सहित राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान ,जयपुर के विशेषज्ञ, एपीडा प्रतिनिधि, बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान, मोदीपुरम मेरठ, निदेश कृषि, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय लखनऊ के प्रतिनिधि आदि प्रमुखता से सम्मिलित हुए।

3. उपरोक्त प्राप्त सुझावों के आधार पर अन्य हितधारकों के साथ भी विचार–विमर्श कर विधेयक का प्रस्तावित आलेख तैयार किया गया है।

4. विधेयक का प्रस्तावित आलेख आम जनता एवं सम्बन्धित पक्षों के अवलोकनार्थ कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय उ0प्र0 की वेबसाइट www.upkrishivipran.in एवं कृषि विभाग की वेबसाइट http://upagripardarshi.gov.in एवं मण्डी परिषद की वेबसाइट http://upmandiparishad.upsdc.gov.in/ पर उपलब्ध/ अनुरक्षित कराया जा रहा है।

5. अनुबन्ध खेती के सम्बन्धित पक्षों से दिनांक 03 जून, 2020 तक सुझाव/प्रस्ताव निदेशक, कृषि विपणन की ई–मेल agmdvipran@gmail.com एवं हार्ड प्रति में कार्यालय पते (चतुर्थ तल, किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ–226010) पर सादर आमंत्रित हैं।

प्राप्त सुझावों पर विचार करते हुए शीघ्र ही प्रदेश में किसानों के हितार्थ अनुबन्ध खेती अधिनियम को अन्तिम रुप प्रदान किया जायेगा।

विधेयक का प्रस्तावित आलेख

उत्तर प्रदेश कृषि उपज और पशुधन अनुबंध खेती और सेवायें (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2020

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के इकहत्तरवें वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल द्वारा इसे निम्नवत अधिनियमित किया जाय:

अध्याय- I

प्रारंभिक

लघु शीर्षक, सीमा और प्रारंभ

1. (1) इस विधेयक को ''उत्तर प्रदेश कृषि उपज एवं पशुधन अनुबंध खेती और सेवायें (संवर्धन एवं विधेयक, 2020''कहा जा सकता है।

(2) यह पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगा।

(3) यह उस तिथि को लागू होगा, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे।

2. इस विधेयक में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''अनुबंध''का अर्थ है अनुबंध कृषि प्रायोजक के बीच अनुबंध खेती समझौता, जो संपूर्ण मूल्य श्रृंखला या उसके किसी घटक में भाग लेने की पेशकश करता है, जिसमें पूर्व उत्पादन, नर्सरी / हैचरी/ प्रजनन शामिल है और कृषि उपज और / या पशुधन और / इसके उत्पाद को खरीदता है, और अनुबंध खेती उत्पादक, जो फसल का उत्पादन करने और / या पशुपालन करने के लिए सहमत होता है, जिसके तहत कृषि उत्पादन और / या पशुधन और / या उसके उत्पाद का उत्पादन/ पालन और विपणन, जैसा मामला हो, समझौते में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, जो इस विधेयक या किसी अन्य कानून के लागू होने के समय के लिए असंगत नहीं है, किया जाता है। इस समझौते में, इस अनुबंध के तहत सेवा अनुबंध प्रायोजक या ऐसे अन्य प्रायोजकों और किसान (किसानों)/ एफपीओ के बीच समझौता भी सम्मिलित है।

(ख) ''कृषि''का अर्थ है और इसमें पौधों की खेती या उत्पादन या कृषि, बागवानी, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, या अनुमन्य वन प्रजातियों, या औषधीय और सुगंधित उपयोग, या बीज या रोपण सामग्री, खाद्य पदार्थ, चारा, रेशा, जैव-ईंधन तथा कृषि-उद्योगों के लिए कच्चे माल के उद्देश्य से अन्य गतिविधियाँ भी सम्मिलित हैं, जैसा कि इस विधेयक के प्रयोजन के लिए धारा 3 के अंतर्गत अनुबंध करने वाले पक्षों द्वारा तय किया गया है।

(ग) ''कृषि उपज''में कृषि, बागवानी, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, या अनुमन्य वन प्रजातियों, और औषधीय और सुगंध पौधे, या पौध सामग्री के रूप में नर्सरी में उगाये गये बीज या रोपण सामग्री शामिल हैं, जैसा कि इस विधेयक के प्रयोजन के लिए धारा 3 के अंतर्गत अनुबंध करने वाले पक्षों द्वारा तय किया गया है, चाहे वे न्यूनतम रूप से संसाधित हों या न हों।

(घ) '' प्राधिकारी ''का आशय इस विधेयक की धारा 23 (1) के तहत गठित विवाद निपटान प्राधिकारी से है।

(ड.) ''बोर्ड''का आशय इस विधेयक की धारा 16 के तहत स्थापित उत्तर प्रदेश अनुबंध खेती और सेवायें (संवर्धन और सुविधा) बोर्ड से है।

(च) ''अध्यक्ष''का आशय इस विधेयक की धारा 17(1) के तहत सरकार द्वारा नियुक्त उत्तर प्रदेश अनुबंध खेती और सेवायें (संवर्धन और सुविधा) बोर्ड के अध्यक्ष से है।

(छ) ''कंपनी"का अर्थ समय-समय पर संशोधित किये जाने वाले कंपनी अधिनियम, 1956 या किसी निर्धारित अवधि तक लागू अन्य कानून के तहत निगमित कंपनी से है।

(ज) ''समझौता समिति" का अर्थ है इस विधेयक के प्रयोजन के लिए धारा 22 के तहत सरकार द्वारा गठित समिति है।

(झ) ''अनुबंध''का आशय इस विधेयक के तहत किए गए कानूनी रूप से लागू करने योग्य समझौते से है;

(ञ) ''अनुबंध खेती''का आशय अनुबंध खेती उत्पादक द्वारा अनुबंध खेती प्रायोजक के साथ जैसा कि समझौते में निर्दिष्ट है, जो कि कृषि उपज और / या पशुधन और / या उसके उत्पाद को अनुबंध खेती प्रायोजक द्वारा या विधिवत अधिकृत एजेंट द्वारा खरीदा जाएगा, जैसा कि समझौते में निर्दिष्ट है।

(ट) ''अनुबंध खेती उत्पादक''का अर्थ किसान या एफपीओ से है, जो फसल और / या पशुधन और / या इसके उत्पाद का उत्पादन करने / पालन करने के लिए सहमत है, जैसा कि निर्दिष्ट और समझौते के तरीके से निर्धारित है और उसे अनुबंध खेती प्रायोजक, या सेवा अनुबंध प्रायोजक या ऐसे अन्य प्रायोजक, जैसा मामला हो, या विधिवत अधिकृत एजेंट को आपूर्ति करता है, जैसा कि अनुबंध में निर्दिष्ट है।

(ठ) ''अनुबंध खेती प्रायोजक''का आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसने इस विधेयक के तहत अनुबंध खेती समझौता किया है।

(ड़) ''जिला अपीलीय प्राधिकारी'' का आशय इस विधेयक के प्रयोजन के लिए धारा 24 (2) के तहत प्राधिकारी से है।

(ढ) ''किसान''का आशय ऐसे व्यक्ति से है, जो कृषि उपज के उत्पादन में लगा हुआ है या पशुधन का पालन-पोषण स्वयं या किराए के श्रमिक द्वारा करता है या अन्यथा, इसमें पट्टेदार, बटाईदार शामिल हैं।

(ण) ''किसान उत्पादक कंपनी (एफ0पी0सी0)''का आशय किसान उत्पादक सदस्यों की एक कंपनी से है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा IXA में परिभाषित है, जिसमें कोई संशोधन, तत्संबंधी पुन-अधिनियमन एवं कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ निगमित है।

(त) ''किसान उत्पादक संगठन'' (एफ0पी0ओ0)का आशय किसानों के ऐसे संघ से है, जिसे किसी भी नाम / रूप में कहा जाता है / मौजूद है तथा जो तत्समय लागू किसी भी कानून के तहत पंजीकृत है, जो किसानों को सामूहिक संगठित कर उनकों उत्पादन तथा विपणन लाभ उठाने की क्षमता का निर्माण करता है।

(थ) ''फर्म''का अर्थ भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 यथा संशोधित के तहत परिभाषित एक फर्म से है ।

(द) ''अप्रत्याशित घटना''का आशय ऐसी ऐसी घटना से है, जो अप्रत्याशित, अपरिहार्य है और अनुबंध दलों के नियंत्रण से बाहर है', जिसमें बाढ़, सूखा, खराब मौसम, भूकंप, महामारी और कीटों का प्रकोप और इस तरह की अन्य घटनायें शामिल हैं।

(ध) ''फंड''का आशय इस विधेयक की धारा 21 (2) के तहत गठित उत्तर प्रदेश अनुबंध खेती और सेवायें (संर्वधन और सुविधा) फंड से है।

(न) ''सरकार''का आशय उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है।

(प) ''पशुधन''में पालतू पशु जैसे मवेशी, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर शामिल हैं, और इसमें अन्य प्रजातियाँ जैसे मुर्गी, मछली, पक्षी और ऐसे अन्य जानवरों की प्रजातियाँ शामिल हैं, जैसा कि इस विधेयक के प्रयोजन के लिए धारा 9 के तहत अनुबंध पक्षों द्वारा निर्धारित किया गया है।

(फ) ''पशुधन उत्पाद''का मतलब पशुधन के सभी उत्पादों से हैं जिसमें हैचरीशाला और प्रजनन-फार्म से प्राप्त उत्पाद भी शामिल हैं जैसा इस विधेयक के प्रयोजन के लिए धारा 3 के तहत अनुबंध पक्षों द्वारा निर्धारित किया गया है।

(ब) ''विपणन''का आशय कृषि उपज और / या पशुधन और / या इसके उत्पाद में शामिल सभी गतिविधियॉ जो उत्पादन बिन्दु फसल की कटाई, अवस्था अथवा जैसा भी मामला हो से अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुँचने के समय तक की सारी गतिविधियाँ जैसे- श्रेणीकरण, प्रसंस्करण,

भंडारण, परिवहन, खरीद-बिक्री, वितरण के चैनल और प्रक्रिया में शामिल अन्य सभी कार्य शामिल हैं।

(भ) ''मॉडल मूल्य'' उस मूल्य को संदर्भित करता है जिस पर उस दिन के सबसे व्यस्त समय में, कृषि उत्पादन से संबंधित अधिकतम लेन-देन किये गये हैं। यदि किसी कारण से बाजार में लेन-देन की संख्या सीमित है, तो जिस कीमत पर अधिकतम मात्रा में उत्पाद को बेचा गया है, उसे मॉडल मूल्य माना जाना चाहिए।

(म) ''व्यक्ति'' में व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, सहकारी समिति या कंपनी या फर्म या संघ या व्यक्तियों का निकाय शामिल है, चाहे वह निगमित हो या नहीं।

(य) ''पूर्व-सहमत मूल्य''का आशय ऐसे मूल्य से है जो समझौते में पारस्परिक रूप से सहमत और उल्लिखित है।

(र) ''परिसर''में भवन, ढाँचा, परिक्षेत्र और उसके आसपास के परिवेश शामिल हैं जो पशुपालन और ढाँचों / संबंधित प्रासंगिक और आकस्मिक गतिविधियों के लिए हैं।

(ल) ''निर्धारित/विहित '' का आशय इस विधेयक के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है।

(व) ''मूल्य में उतार-चढ़ाव'' उस सीमा को संदर्भित करता है, जिसमें कीमतें एक निर्धारित समय में बढ़ती या गिरती हैं।

(श) ''प्रसंस्करण'' का आशय किसी एक उपचार या उपचारों की श्रृंखला से है जिसमें पाउडर बनाना, पिसाई, भूसी निकालना, पारब्यालिंग, एजिंग, पॉलिश करना, ओटाई, दबाना, सुखाना, मुलायम करना, ठंडा करना और पाश्चुरीकरण या कोई अन्य मैनुअल, मैकेनिकल, रसायनिक या भौतिक उपचार शामिल है जो कच्चा कृषि उत्पाद, पशुधन या उसके उत्पाद से संबंधित है; और प्रसंस्करण में सफाई, छंटाई, श्रेणीकरण और इस तरह कटाई के बाद की अन्य मूल्यवर्धन जैसी गतिविधियाँ भी शामिल हैं।

(ष) ''प्रसंस्करणकर्ता'' का आशय ऐसे व्यक्ति से है जो किसी भी कृषि उपज, पशुधन या इसके उत्पाद का प्रसंस्करण अपनी इच्छा से या किसी शुल्क के भुगतान पर करता है।

(स) ''उपज'' में कृषि उपज, पशुधन और / या इसके उत्पाद शामिल हैं, जो इस विधेयक में अनुबंध खेती, सेवा अनुबंध या किसी अन्य अनुबंध के लिए जो इस विधेयक के संगत हो, अनुबंध पक्षों द्वारा सहमति हुई है।

(ह) ''समझौते को अभिलेखबद्ध करना'' का आशय इस विधेयक की धारा 15 के तहत अनुबंध खेती प्रायोजक, या सेवा अनुबंध प्रायोजक, या ऐसे अन्य प्रायोजक और अनुबंध खेती उत्पादक के बीच किए गए अनुबंध खेती समझौते को अभिलेखबद्ध करने से है।

(क्ष) ''पंजीकरण'' का आशय अनुबंध खेती प्रायोजक या सेवा अनुबंध प्रायोजक या अन्य ऐसे प्रयोजक का धारा 15 के तहत पंजीकरण से है।

(त्र) ''पंजीकरण प्राधिकारी '' का आशय इस विधेयक के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा धारा 15 के तहत बनाए गए धारा 15 के तहत पंजीकरण प्राधिकारी से है।

(त्र) ''नियम'' का आशय इस विधेयक के तहत बनाए गए नियम से है।

(त्रक) ''बिक्री-खरीद मूल्य'' का आशय उस वास्तविक मूल्य से है, जिस पर उत्पादक और प्रायोजक के बीच लेन-देन होता है।

(त्रख) ''अनुसूची'' का आशय इस विधेयक में संलग्न अनुसूची से है।

(त्रग) ''सेवा अनुबंध'' का आशय किसान (किसानों) / एफपीओ और सेवा अनुबंध प्रायोजक के बीच के समझौते से है, जिसमें पहला पक्ष उपज की आपूर्ति करता है या गतिविधि प्रदान करता है और दूसरा पक्ष में कोई एक या एक से अधिक पूर्व-उत्पादन और उत्पादन सेवायें प्रदान करता है जैसे भूमि / मृदा विकास, बीज / रोपण सामग्री / फिंगरलिंग्स, उर्वरक, खाद, फीड, चारा, सिंचाई, कृषि यंत्र, कटाई और ऐसी अन्य सेवाएँ; और फसल कटने के बाद के प्रबंधन और विपणन सेवायें जैसे परिवहन, भंडारण, प्राथमिक मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और ऐसी अन्य सेवायें शामिल हैं। सेवाओं के अनुबंध में वह सेवायें भी शामिल हैं, जिसमें, किसान / एफपीओ मूल्य वर्धित उत्पाद प्रदान करता है और सेवा अनुबंध प्रायोजक अपने व्यापार ब्रांड नाम और ऐसे अन्य समर्थन के रूप में विपणन सहायता प्रदान करता है, जैसा कि समझौते में उल्लिखित है।

(त्रघ) ''सेवा अनुबंध प्रायोजक'' का आशय ऐसे व्यक्ति से है, जिसने इस विधेयक के तहत पूर्व-उत्पादन, उत्पादन और कटाई के बाद के प्रबंधन और विपणन सेवाओं का अनुबंध किया है।

(त्रड.) ''प्रायोजक'' इस विधेयक के तहत अनुबन्ध खेती प्रायोजक और सेवा अनुबन्ध प्रायोजन या ऐसे अन्य प्रायोजक जो सम्मिलित हो से है।

अध्याय - II

समझौते का अभिलेखन, पंजीकरण और सुविधाजनक ढाँचा

अनुबंध खेती का विस्तार और कृषि उत्पादन को समर्थन

3. (1) अनुबंध खेती के लिए समझौता इस विधेयक के तहत किसी भी कृषि उपज के संबंध में प्रायोजक और किसान, एफपीओ या एफपीसी के बीच किया जा सकता है।

(2) समझौते में उत्पादन-पूर्व से लेकर उत्पादन पश्चात तक या उसके किसी भी घटक (कों) को सम्मिलित किया जा सकता है, जो इस विधेयक के असंगत न हों, अनुबन्ध में स्पष्ट रूप में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तो के साथ उपज की प्रकृति, इसके उत्पादन और स्व:जीवन के आधार पर विभिन्न प्रकार के अनुबन्ध सम्मिलित है।

(3) अनुबंध खेती उत्पादक, जिसे यहाँ इसके पश्चात "उत्पादक" कहा गया है, भूमि / मिट्टी प्रबंधन, बीज / पौधे / फिंगरलिंग्स, उत्पादन सामग्री, फीड और चारा, तकनीकी एवं इससे संबंधित इस प्रकार की अन्य सेवाओं, जैसा कि समझौते में विर्निदिष्ट है, के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता में सुधार के लिए प्रायोजक से सहायता प्राप्त कर सकता है।

समझौते की अवधि एवं अनुबन्ध खेती उत्पाद

4.(1) **समझौते की न्यूनतम अवधि फसल के एक मौसम या पशुधन के एक उत्पादन चक्र की होगी और अधिकतम अवधि पाँच वर्ष तक की होगी और उसके बाद उत्पादक और प्रायोजक द्वारा पारस्परिक रूप से लिये गये निर्णय और समझौते में स्पष्ट रूप से किये गये उल्लेख के अनुसार रह सकती है**:

प्रतिबन्ध यह है कि कई उपज अनुबंध के मामले में, एक वर्ष से अधिक उत्पादन चक्र वाली उपज के लिए अलग-अलग समझौते हो सकते हैं।

स्पष्टीकरण: एक समझौते में एक वर्ष तक के उत्पादन चक्र वाली कई उपज हो सकती हैं और एक वर्ष से अधिक की लंबी अवधि के उत्पादन चक्र वाली उपज के लिए अलग समझौता हो सकता है।

(2) इस विधेयक के तहत अनुबंध खेती, सेवाओं के अनुबंध और इस तरह के अन्य अनुबंधों के उद्देश्य से उपज के महत्व को ध्यान में रखते हुए, अनुबंध करने वाले पक्ष उपज का पारस्परिक रूप से निर्णय ले सकते हैं और इस तरह के निर्णय किए गए उत्पाद का स्पष्ट रूप से अनुबंध में उल्लेख किया जाएगा।

उत्पादक की भूमि या परिसर में प्रायोजक द्वारा स्थायी संरचना बनाया जाना निषिद्ध।

5. **तत्समय लागू किसी कानून या समझौते में अन्तर्विष्ट किसी बात का उल्लेख को होते हुए भी प्रायोजक उत्पादक की भूमि या परिसर में किसी प्रकृति के किसी भी प्रकार के कोई भी स्थायी ढाँचा खड़ा करना या किसी भी प्रकार के लीज होल्ड अधिकार का सृजन करना निषिद्ध है।**

प्रतिबन्ध यह है कि उपज की उत्पादन प्रक्रियाओं और/ या पशुपालन या इसके विपणन, जिसमें अनुबंधित सेवायें शामिल हैं, से संबंधित समझौते में की गई सहमति के रूप में किसी भी प्रकार का ढाँचा खड़ा किया जा सकता है और यदि वंछित है तो इसे हटा दिया जायेगा, जैसा उत्पादक/ किसान द्वारा सहमति है, और समझौते की समाप्ति से पहले जमीन को अनुबंध से पहले की स्थिति में कर दिया जायेगा, और यदि इसे हटाया नहीं जाता है, तो इसका स्वामित्व समझौते की समाप्ति के बाद उत्पादक/ किसान में निहित होगा।

कोई भी शीर्षक, अधिकार, स्वामित्व या अधिकार प्रायोजक में स्थानांतरित या स्थानांतरित या निहित नहीं किया जाएगा।

6. **समझौते में अन्तर्विष्ट किसी बात का उल्लेख होते हुए भी समझौते के परिणाम स्वरुप भूमि या परिसर या अन्य ऐसी सम्पत्ति का कोई भी शीर्षक,अधिकार, स्वामित्व प्रायोजक या उसके उत्तराधिकारी या एजेन्ट को स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा। इसके स्वाभाविक परिणामस्वरुप अनुबन्धित दलों के द्वारा उत्पादक की भूमि पर कोई भी शुल्क वैद्य रुप में किसी भी अधिनियम चूक के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जायेगा।**

गुणवत्ता ग्रेड मानक

7. (1) **अनुबंध पक्ष निर्गम प्रणाली, अंतिम उपयोग, सस्य क्रियाओं, कृषि जलवायु और ऐसे अन्य कारकों पर विचार करते हुए, पारस्परिक रूप से स्वीकार्य गुणवत्ता ग्रेड मानकों को अपना सकते हैं**

या भारत सरकार या राज्य सरकार की संस्था या कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सी0ए0सी0पी0) या बोर्ड द्वारा अधिकृत किसी अन्य एजेंसी, जिसका गुणवत्ता मानक आधारित बिक्री-खरीद को निष्पादित करने के लिए, जो समझौते में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, अपना सकते है।

(2) उप-धारा (1) में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, बोर्ड अनुबंध में स्पष्ट रूप से उल्लिखित अनुबंध पक्षों द्वारा अपनाए जाने के लिए उत्पादन हेतु गुणवत्ता ग्रेड मानकों को बना सकता है।

(3) गुणवत्ता ग्रेड मानकों को (i) प्रीमियम गुणवत्ता (ii) उचित औसत गुणवत्ता; और (iii) उचित औसत से नीचे की गुणवत्ता में वर्गीकृत किया जा सकता है, या समझौते के अनुसार उल्लिखित अनुबंध पक्ष उस समय लागू किसी भी कानून के असंगत में अपने विपणन और इस प्रकार की अन्य आवश्यकताओं के आधार पर गुणवत्ता ग्रेड मानकों को पारस्परिक रूप से श्रेणीकृत कर सकते हैं।

(4) गुणवत्ता मानकों और उनके मान की पहचान और परिभाषित करते समय, उपज के सामान्य और विशिष्ट उपयोग को ध्यान में रखा जा सकता है।

स्पष्टीकरण: बीज उत्पादन के लिए अनुबंध खेती के मामले में, आनुवंशिक शुद्धता, अंकुरण प्रतिशत, व्यवहार्यता, आदि, जैसा अनुबंध में विनिर्दिष्ट हो, महत्वपूर्ण मापदंड हो सकते है।

(5) अनुबंध करने वाले, बोर्ड द्वारा पहचाने गये सूचीबद्ध असेयर्स की सूची से पारस्परिक रूप से तृतीय पक्ष गुणवत्ता असेयर का चयन कर सकते हैं, जैसा कि विहित किया जाय और अनुबन्ध में उल्लिखित हो जिससे वितरण से पूर्व अनुबन्धित उपज की गुणवत्ता ग्रेड मानको का निर्धारण करने में सुविधा हो।

उत्पाद के पूर्व-सहमत मूल्य निर्धारित करने के सिद्धान्त

8. उत्पादक को उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए, धारा 4 (2) के अंतर्गत श्रेणीवार पूर्व-सहमत मूल्य के मार्गदर्शी मानदंडों के अनुसार निर्धारित किये जा सकते हैं, जैसा कि नियमों में विहित किया जाय और समक्षौते में उल्लिखित हो।

उत्पाद के बिक्री-खरीद मूल्य निर्धारित करने के सिद्धान्त

9. इस विधेयक या किसी अन्य कानून में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अनुबंध में स्पष्ट रूप से उल्लिखित बिक्री-खरीद मूल्य, नियमों में विहित किये गए मार्गदर्शी मानदंड के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है।

उत्पाद का क्रय-विक्रय

10. (1) (क) अनुबंध खेती प्रायोजक अनुबंध खेती उत्पादक की एक या एक से अधिक उपज की पूरी पूर्व-सहमत मात्रा खरीदेगा,-

यदि अनुबंध के लिए धारा 3(3) के तहत उत्पादन सहयोग प्रदान किया गया है, तो अनुबंध खेती प्रायोजक पूर्व-सहमत दर पर उपज की पूर्व-स्वीकृत मात्रा खरीदेगा, जैसा कि विहित किया जाय। अनुबंध खेती प्रायोजक शेष मात्रा भी उस मूल्य पर खरीदेगा जो दोनों पक्षों को पारस्परिक रूप से स्वीकार्य हो, परन्तु पूर्व सहमत मूल्य के निर्धारित प्रतिशत से कम

पर नहीं खरीदेगा, जैसा कि विहित किया जाय और जैसा कि समझौते में उल्लेख किया जाय:

(ख) केवल अनुबंध खरीदने के मामले में, -

I. प्रायोजक अनुबंध में प्रदान किए गए गुणवत्ता मानक के अनुरूप अनुबंधित उपज की पूरी पूर्व-सहमत मात्रा खरीदेगा, लेकिन उपज की पूर्व-सहमत मात्रा की निर्धारित मात्रा से कम प्रतिशत पर नहीं खरीदेगा, जैसा कि विहित किया जाय और जैसा कि समझौते में उपबन्धित किया गया हो; तथा

II. प्रायोजक उप-धारा (ख) (i) के तहत पूर्व-सहमत मात्रा के नहीं खरीदे गये शेष भाग को भी कम मूल्य पर जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो, जैसा कि विहित किया जाय, और जैसा कि समझौते में उपबन्धित किया गया हो, खरीदेगा;

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (ख)(ii) के तहत शेष मात्रा को अन्य इच्छुक खरीददारो को बेचने के लिए उत्पादक और प्रायोजक पारस्परिक रूप से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगें, जैसे कि समक्षौते में उल्लिखित हो।

(ग) अनुबंधित उपज के बाजार मूल्य में किसी भी अत्यधिक वृद्धि या कमी के मामले में:-

(i) दोनों पक्ष अनुबंधित उपज की पूर्व-सहमत मूल्य पर पूरी पूर्व-सहमत मात्रा की बिक्री-खरीद करने के लिए बाध्य होंगे, यदि पूर्व-सहमत अनुबन्धित मूल्य तीन निकटतम मण्डियों में प्रचलित मॉडल बाजार मूल्य या अन्य बेंचमार्क मूल्य के औसत जैसा कि मामले में विहित किया जाय, से दस प्रतिशत ऊपर या नीचे की सीमा के अन्तर्गत है।

(ii) दोनों पक्ष अनुबंधित उपज के पूर्व-सहमत मूल्य पर पूर्व-सहमत मात्रा के न्यूनतम पचास प्रतिशत की बिक्री-खरीद करने के लिए बाध्य होंगे, यदि पूर्व सहमत मूल्य तीन निकटतम मण्डियों में प्रचलित मॉडल बाजार मूल्य या अन्य बेंचमार्क मूल्य के औसत, जैसा कि मामलो में विहित किया जाय, दस प्रतिशत ऊपर या नीचे की सीमा से अधिक है।

(2) जैसा कि समझौते में उपबन्धित किया गया है, जब उत्पाद सहमत स्थान पर प्रायोजक को डिलीवरी देने के लिए उत्पादक द्वारा दिया जायेगा तो प्रायोजक खरीद के लिए सभी व्यवस्थायें करेगा और उपज को भरने / तौलने / मापने के लिए आवश्यक सामग्री पहले से ही उपलब्ध करायेगा। प्रायोजक तुरंत उपज को तौलने / मापने के लिए भी जिम्मेदार होगा और तौल / माप हो जाने के बाद, वह बिक्री प्राप्ति के विवरण के साथ रसीद की पर्ची जारी करते हुए तुरंत उपज की डिलीवरी लेगा, जैसा कि विहित किया जाय।

(3) प्रायोजक को यह माना जाएगा कि उसने डिलीवरी के समय उपज का अच्छी तरह से निरीक्षण किया है और बाद में उसे वापस करने का कोई अधिकार नहीं है:

प्रतिबन्ध यह है कि बीज और ऐसी अन्य उपज के मामले में, जहाँ गुणवत्ता का आकलन बाद में किया जाता है, गुणवत्ता के मामले को गुणवत्ता मूल्यांकन रिपोर्ट के बाद

निपटाया जाएगा, जैसा कि विहित किया जाए।

(4) यदि प्रायोजक अनुबंध की शर्तों के अनुसार भुगतान नहीं करता है, तो निर्धारित अर्थ दंड, जैसा कि विहित किया जाय तीस दिनों तक के देर से भुगतान के लिए लगाया जाएगा। यदि उक्त भुगतान तीस दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, तो उसे यथा विहित ब्याज के साथ भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूल किया जाएगा, जब तक कि उसे वसूल नहीं किया जाता है और उत्पादक को भुगतान नहीं किया जाता है:

प्रतिबन्ध यह है कि विवाद के लम्बित मामले में, ब्याज के साथ भूमि राजस्व के बकाया के रूप में अर्थदंड और वसूली का प्रभार, जैसा कि मामला हो, अध्याय III के अनुसार विवाद निपटान कार्यप्रणाली के तहत और समझौते के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

उपज का बीमा।

11. (1) अनुबंध खेती के तहत उपज उत्पादन से जुड़ी बीमा योजना के तहत आच्छादन किया जाएगा या ऐसी किसी अन्य योजना, जैसा कि विहित किया जाय, और समझौते में उपबन्धित किया गया हो, उसके अंतर्गत आच्छादित किया जाएगा।

(2) उप-धारा (1) में उपबन्धित के सिवाय, अनुबंध कृषि के तहत उपज को मूल्य / बाजार से जुड़ी बीमा योजना या ऐसी किसी अन्य योजना के तहत आच्छादित किया जा सकता है, जैसा कि और जब यह केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा या किसी अन्य एजेंसी द्वारा कार्यान्वयन में लायी जाय, जैसा कि विहित किया जाय और समझौते में उपबन्धित किया गया हो।

अनुबंध के अन्य पक्ष।

12. विधेयक में उपबन्धित के सिवाय, बीमा कंपनी, क्रेडिट प्रदान करने वाली बैंकिंग संस्था, कृषि-इनपुट आपूर्तिकर्ता, ज्ञान सहयोगी, बाय-बैक खरीददार और अन्य खरीदार (खरीदारों) के रूप में जो उत्पाद की खरीद का इरादा रखते हैं, वे अनुबंध के पक्षकार हो सकते हैं, और जिनकी भूमिकाओं और सेवाओं का समझौते में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

अनुबंधित पक्षो की बाध्यता

13.जब तक कि इस विधेयक की धारा 22, धारा 23, धारा 24 के तहत निष्पादन को माफ या छोड़ दिया नहीं जाता, तब तक अनुबंध करने वाले पक्षों को या तो निष्पादन करना होगा या निष्पादन करने की पेशकश करनी होगी।

अनुबंध का परिवर्तन और समाप्ति।

14. (1) अनुबंध पक्ष, इस दौरान, किसी भी समय बोर्ड को सूचित करते हुए अनुबंध को इस हेतु अधिकृत पंजीकरण अधिकारी के समक्ष आपसी सहमति से बदल सकते हैं या समाप्त कर हैं।

(2) अप्रत्याशित घटना की स्थिति में, प्रभावित अनुबंध पक्ष, प्रतिकूल प्रभाव की सीमा तक, अनुबंध का सम्मान करने के लिए बाध्य नहीं होगा और तदनुसार इस संबंध में बोर्ड या अधिकृत अधिकारी की मंजूरी से आपसी सहमति से शर्तों को बदल सकता है या अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

पंजीकरण प्राधिकारी

15. (1) राज्य सरकार ई-रजिस्ट्री प्रदान करने के लिए राज्य अथवा प्रत्येक जिले में एक पंजीकरण प्राधिकारी को अधिसूचित कर सकती है जो समझौतों के पंजीकरण के लिए संरचनात्मक सुविधा प्रदान करेगा और इस तरह के समझौतों के तहत लेनदेन का रिकार्ड रखेगा।

(2) प्रत्येक प्रायोजक को पंजीकृत किया जाएगा और समझौते को इस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा जैसे विहित किया गया हो और इस तरह का कोई भी समझौता इस विधेयक के तहत मान्य नहीं होगा जब तक कि प्रायोजक पंजीकृत न हो और अनुबंध नामित अभिलेखन अधिकारी के द्वारा अभिलिखित न किया गया हो।

प्रतिबन्ध यह है कि इस विधेयक के शुरू होने से तुरंत पहले अनुबंध खेती या सेवायें अनुबंध या ऐसे अन्य अनुबंध करने वाला प्रायोजक, अनुबंध में उल्लेख की गयी अवधि तक ऐसा करना जारी रख सकता है।

अध्याय - III

अनुबंध खेती एवं सेवायें (संवर्धन और सुविधा) बोर्ड

उत्तर प्रदेश अनुबन्ध खेती और सेवायें (संवर्धन और सुविधा) बोर्ड की स्थापना और निगमन।

16. इस तिथि से सरकार द्वारा अधिसूचना के अनुसार, इस संबंध में विनिर्दिष्ट प्रभाव के साथ, उत्तर प्रदेश अनुबंध खेती और सेवायें (संवर्धन और सुविधा) बोर्ड, जिसे बाद में बोर्ड कहा जाएगा, को प्राप्त होने वाले अधिकारों का उपयोग करने के लिए और इसके द्वारा या इस विधेयक के तहत सौंपे कार्यों को पूरा करने के लिए एक बोर्ड स्थापित किया जाएगा:

बोर्ड की संरचना।

17. बोर्ड का ढाँचा निम्नलिखित होगा-

(1) अध्यक्ष, बोर्ड के प्रमुख के रूप में प्रशासन से ऐसे व्यक्ति जो राज्य के कृषि उत्पादन के पद पर तैनात/प्रभार है बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होगा।

(क)अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष अन्य सदस्यों में से किसी को भी अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत करेगा और वह उसकी बैठक की अध्यक्षता करेगा।, सरकार किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नामांकित करेगी, जब तक कि कोई नियमित पदग्राही पद ग्रहण नहीं करता है।

(2) पदेन सदस्य, प्रमुख सचिव, कृषि, उद्यान, कृषि विपणन, सहकारिता, पशुपालन, दुग्ध विकास और मत्स्य पालन के प्रभारी है या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो सचिव स्तर से कम न हो|

(3) गैर-आधिकारिक सदस्य-

(क) मुख्य रूप से खाद्य प्रसंस्करण, बीज प्रसंस्करण, निर्यातक, खुदरा श्रृंखला से जुड़े थोक खरीदार, मुर्गीपालन/ ब्रायलर क्षेत्र से जुड़े प्रायोजकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सरकार द्वारा तीन सदस्यों को गैर-आधिकारिक सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा।

(ख) किसानों या उनके समूहों या संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिस भी नाम से बुलाया जाता है, गैर-सरकारी सदस्य के रूप में दो सदस्यों को नामित किया जायेगा।

(ग) बोर्ड के गैर-आधिकारिक सदस्य के पद का कार्यकाल दो वर्षों के लिए होगा। हालांकि, सदस्य सरकार की इच्छा से पद पर बना रह सकता है। सरकार, यदि ऐसा करना उचित समझती है, तो निर्धारित अवधि के समाप्त होने से पहले बोर्ड के किसी भी गैर-सरकारी सदस्य को उसके पद से हटाया जा सकता है, जैसा कि विहित किया जाय।कोई भी व्यक्ति दो बार से अधिक बोर्ड का गैर-आधिकारिक सदस्य नहीं हो सकता है।

(घ) बोर्ड के गैर-आधिकारिक सदस्य को अनुबंध खेती और सेवायें (संवर्धन और सुविधा) निधि से भुगतान किया जाएगा, जो कि बैठक में भाग लेने और / या बोर्ड द्वारा सौंपे गये किसी अन्य कार्य में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क और भत्ता होगा।

(ड.) अधिमानत: अध्यक्ष और सदस्यों के बीच आधिकारिक और गैर-आधिकारिक सदस्यों में से कम से कम दो महिलायें हो सकती हैं;

(च) कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय उत्तर प्रदेश के निदेशक मुख्य कार्यकारी आधिकारी होंगे, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय मुख्य कार्यकारी कार्यालय होगा और कृषि विपणन निदेशालय बोर्ड के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

बोर्ड की बैठकें, इसकी कार्यवाहियाँ और गणपूर्ति।

18 (1) बोर्ड अपने व्यवसाय के लेन-देन के लिए तीन महीने कम से कम एक बार उस तारीख और उस समय पर बैठक करेगा, जैसा कि अध्यक्ष निर्धारित करे:

प्रतिबन्ध यह है कि बोर्ड विशेष परिस्थितियों में, किसी भी समय और राज्य के किसी भी स्थान पर बैठक कर सकता है, जैसा कि विहित किया जाए।

(2) बोर्ड के सदस्यों की कुल संख्या का न्यूनतम एक तिहाई हिस्सा बोर्ड की बैठक में कार्य के संचालन के लिए गणपूर्ति होगा।

(3) बोर्ड की किसी भी बैठक के समक्ष उठने वाले सभी प्रश्नों का निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा, और बराबर मत के मामले में, अध्यक्ष, या अध्यक्षता करने वाले के पास दूसरा या निर्णायक मत होगा।

बोर्ड की शक्तियॉ और कार्य।

19 .(1) इस विधेयक के उचित कार्यान्वयन और अनुबंध खेती, सेवा अनुबंध और ऐसे अन्य अनुबंधों के प्रोत्साहन और कुशल प्रदर्शन के लिए राज्य को सुझाव देना सुनिश्चित करना बोर्ड का कर्तव्य होगा। इस प्रयोजन के लिए, बोर्ड-

(क) कार्यालयों जिन्हें इस विधेयक के तहत अनुबंध खेती, सेवा अनुबंध और इस तरह के अन्य अनुबंधों का काम सौंपा गया;

(ख) सरकार के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा करना, जो इस विधेयक के तहत किए गए कार्यों के यथोचित निर्वहन में विफल रहा हो:

परन्तु कि इस तरह की अनुशंसा करने से पहले, बोर्ड संबंधित विभाग के प्रशासनिक सचिव से परामर्श करेगा जिससे संबंधित मामला है;

(ग) धारा 3 के अन्तर्गत अनुसूची में उत्पाद को वर्गीकृत करना तथा अनुसूची में रखना तथा अनुसूची में उपज को शामिल करना तथा हटाना;

प्रतिबन्ध यह है कि बोर्ड अनुसूची में उपज को शामिल कर सकता है या उसमें से हटा सकता है या इसके श्रेणीकरण को बदल सकता है, जैसा वह उचित समझे।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस प्रकार की उपज को इस विधेयक की अनुसूची में श्रेणीबद्ध और उल्लेख नहीं किया गया है, तो अनुबंधित पक्ष पूर्व-सहमत और बिक्री-खरीद मूल्य को पारस्परिक रूप से निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे जैसा कि समझौते में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो।

(घ) बोर्ड, विभिन्न कारकों जैसे मूल्य अस्थिरता और / या इस तरह के अन्य मानदंडों के आधार पर, जैसा कि नियमों में विहित किया गया हो, इस विधेयक के तहत समझौते में उल्लिखित किये गये पूर्व-सहमत और बिक्री-खरीद मूल्य को बेंचमार्क करने एवं अनुबंध पक्षों का मार्गदर्शन करने के लिए, अनुबंध खेती के लिए समय-समय पर उपज को श्रेणीकृत कर सकता है, और इस तरह की वर्गीकृत उपज को इस विधेयक की अनुसूची में रखा जा सकता है:

(2) जहाँ बोर्ड इस बात से संतुष्ट है कि इस विधेयक के प्रावधानों से उत्पन्न किसी मामले में पूछताछ करने के उचित आधार हैं, स्वत: संज्ञान लेते हुए यह मामले के संबंध में जाँच शुरू कर सकता है।

(3) बोर्ड राज्य में अनुबंध खेती के साथ-साथ बोर्ड की दैनिक गतिविधियों के लिए अपने वित्तीय व्यय को मंजूरी देगा और सरकार को रिपोर्ट करेगा।

(4) बोर्ड कुशल अनुबंध खेती और सेवायें अनुबंध गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) तैयार कर सकता हैय और इस

विधेयक के तहत अनुबंध और समग्र उत्पाद मूल्य श्रृंखलाओं के बारे में जागरूकता और प्रशिक्षण के माध्यम से आवधिक क्षमता निर्माण कार्यक्रम विधेयक के कार्य से संबंधित सभी गतिविधियाँ कर सकता है।

(5) बोर्ड स्वंय या विशेषज्ञों को शामिल करते हुए, अनुबन्धित किये जाने वाले उत्पाद के लिए श्रेणी मानक तैयार कर सकता है, क्षमता निर्माण कर सकता है और प्रचार कार्यक्रम कर सकता है।

(6) प्रत्येक वर्ष, बोर्ड निम्नलिखित को भी तैयार करेगा-

(क) पिछले वर्ष में बोर्ड की सभी गतिविधियों को आच्छादित करने वाली एक सामान्य रिपोर्ट;

(ख) कार्य के कार्यक्रम;

(ग) पिछले वर्ष के वार्षिक लेखा; तथा

(घ) आगामी वर्ष का बजट जो सरकार से अनुदान सहित संभावित राजस्व और व्यय तथा धारा 21 (2) के अन्तर्गत बनाये गये अनुबंध खेती और सेवायें (संवर्धन और सुविधा) कोष का गठन करने के लिए व्यय को स्पष्ट करता हो।

(7) बोर्ड सरकार को सामान्य रिपोर्ट और कार्यक्रमों को अग्रेषित करेगा और उसे प्रकाशित करेगा।

सुगमता शुल्क की वसूली।

20. (1) बोर्ड अनुबंधित उत्पाद के संबंध में निर्धारित सुगमता शुल्क प्रायोजक से, उस दर पर एकत्र करेगा, जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, लेकिन यह अनुबंधित उपज पर निर्धारित मूल्य के प्रतिशत से अधिक नही होगा:

(2) बोर्ड, उप धारा (1) के तहत, सुगमता शुल्क लगायेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि इस तरह के कुल वार्षिक संग्रह का पचास प्रतिशत से कम संविदा खेती को बढ़ावा देने में खर्च न हो, जैसे प्रशिक्षण, श्रेणी मानक बनाने और मध्यस्थता, शोध तथा इससे संबंधित और जुड़े आकस्मिक अन्य गतिविधियों को करने के लिए विशेषज्ञों को शामिल करना। बोर्ड इस तरह के संग्रह को कल्याणकारी और अनुबंध कृषि प्रचार योजनाओं को तैयार करने और लागू करने में भी खर्च कर सकता है, जैसा कि विहित किया जाए।

अध्याय - IV

वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा

निधि के गठन और लेखा के ऑडिट के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुदान।

21. (1) सरकार, इस संबंध में राज्य विधानमण्डल द्वारा कानून के अनुसार उचित विनियोजन के बाद, इस विधेयक के प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली अनुदान धनराशि, जैसा कि विहित किया जाए, बोर्ड को प्रदान कर सकेगी।

(2) उत्तर प्रदेश अनुबंध खेती एवं सेवायें (संवर्धन एवं सुविधा) निधि का गठन किया जाएगा, जिसे इसमें इसके पश्चात "निधि"कहा गया है;

(क) इस निधि में जमा किया जाएगा-

(i) बोर्ड द्वारा प्राप्त किये जाने वाले सरकार से प्राप्त सभी अनुदान, सुगमता शुल्क, आदि;

(ii) बोर्ड को ऐसे अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त राशि जो सरकार तय करे; तथा

(iii) इस विधेयक के तहत दंड के माध्यम से वसूली गयी समस्त राशियां।

(ख) निधि को प्रयुक्त किया जायेगा-

(i) बोर्ड के गैर-आधिकारिक सदस्यों के भत्ते और अन्य पारिश्रमिक।

(ii) बोर्ड के कार्यों के निर्वहन के संबंध में और इस विधेयक के प्रयोजनों के लिए बोर्ड के अन्य व्यय के लिए।

(3) बोर्ड उचित लेखा और अन्य प्रासंगिक अभिलेख रखेगा और सरकार द्वारा निर्धारित रूप में लेखा का एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा।

(4) बोर्ड के लेखा की लेखा परीक्षा एक संस्था द्वारा, जैसे सरकार उचित समझे, करायी जायेगी। बोर्ड लेखा के आंतरिक लेखा परीक्षा की व्यवस्था भी कर सकता है।

अध्याय- V

विवाद का निपटारा, अपील और अर्थदंड

समझौता समिति

22. (1) इस अधिनियम के तहत संविदा समझौते के कारण उत्पन्न किसी भी विवाद के मामले में कलेक्टर इस प्रावधान के तहत नियुक्त सुलह समिति को विवाद का संदर्भित करेंगे।

(2) कलेक्टर/एस0डी0एम0 द्वारा विवाद उत्पन्न होने पर एक बाध्यकारी समझौते की सुविधा प्रदान करने के लिए उपधारा (1) के अन्तर्गत कलेक्टर/एस0डी0एम0 द्वारा प्रत्येक संदर्भित समिति में एक अध्यक्ष और दो या चार अन्य सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा।

(3) चेयरमैन/अध्यक्ष वह अधिकारी होगा जो कलेक्टर की देखरेख व नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य करेगा एवं अन्य सदस्य समान संख्या में प्रत्येक पक्ष के विवाद को सुलझाने हेतु नियुक्त किये जायेंगे जो सम्बन्धित विवाद का प्रतिनिधित्व करेंगे प्रत्येक पक्ष/पार्टी से किसी एक व्यक्ति को सम्बन्धित विवाद को सुलझाने हेतु नियुक्त किया जाएगा, यदि वह व्यक्ति

सम्बन्धित विवाद को 07 दिन के अन्तर्गत सुलझाने में असमर्थ होता है तो कलेक्टर द्वारा ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को पार्टी/पक्ष का प्रधिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाएगा जिसे प्रधिनिधित्व हेतु उपयुक्त समझे।

(4) इस अधिनियम के अन्तगत किसी विवाद को सुलझाने हेतु संदर्भित किये जाने पर बोर्ड आफ कंसालिडेशन (सुलह समिति) का प्रमुख कर्तव्य होगा कि पक्षों को बिना देर किये समझौता कराने हेतु सौहार्द्रपूर्ण माहौल जैसा उचित समझे सभी ऐसी विधियों से विवाद के गुणों/कारणों की जांच करेगा जो उस विवाद को समझौता करा दें।

(5),यदि किसी विवाद का निस्तारण सुलह समिति द्वारा किया जा सका हो तो बोर्ड विवाद से सम्बन्धित दोनो पक्षों के हस्ताक्षरित समझौते का ज्ञापन कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे।

(6)यदि सुलह समिति समझौता नहीं करा पाता है तो सुलह समिति यथाशीघ्र उन सभी तथ्यों व परिस्थितियों का पता लगाने हेतु समिति का उठाये गये कदमों व आवश्यक कार्यवाही से सम्बन्धित एक पूर्ण रिपोर्ट तैयार कर कलेक्टर के सम्मुख प्रस्तुत करेगाए जिसके कारण समझौते का निस्तारण नहीं हो सका है।

(7) समिति इस प्रावधान के तहत अपनी रिपोर्ट उस तारीख के तीस दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा, जिस पर विवाद उसे भेजा गया था या ऐसी छोटी अवधि के भीतर, जैसा कि कलेक्टर द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

विवाद निपटान प्राधिकारी

23. (1) यदि कोई मामला समझौता समिति में हल नहीं होता है, तो कोई भी पक्ष समझौता समिति की रिपोर्ट कलेक्टर को देने के दो सप्ताह के भीतर विवाद निपटान प्राधिकारी को मामले का अभिवेदन दे सकती है।

(2) "विवाद निपटान प्राधिकारी" कलेक्टर द्वारा नामित उप-सम्भागीय अधिकारी (S.D.O) अथवा उसके समकक्ष होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि विवाद को सुलझाने से पहले विवाद निपटान प्राधिकारी विवाद के उत्पाद के लिए जैसा उचित समझे क्षेत्र विशेषज्ञों से एक रिपोर्ट ले सकता है।

(3) विवाद निपटान प्राधिकारी पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, इक्कीस दिनों के भीतर सारांश तरीके से विवाद को हल करेगा।

(4) उप-धारा (2) के तहत विवाद निपटान प्राधिकारी का निर्णय, एक सिविल कोर्ट के एक निर्णय का बल होगा और इस तरह लागू करने योग्य होगा, और भूमि राजस्व के बकाया के रूप में डिक्रीटल राशि वसूल की जाएगी।

अपील

24.(1) आदेश 23 (3) के तहत पारित आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति आदेश के पंद्रह दिनों के भीतर "जिला अपीलीय प्राधिकारी" को इस तरह अपील कर सकता है, जैसा कि निर्धारित

किया जा सकता है।

(2)"जिला अपीलीय प्राधिकारी" जिला कलेक्टर या उसके द्वारा नामित अपर कलेक्टर के समकक्ष अधिकारी होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि अपील जिला अपीलीय प्राधिकारी को हल करने से पहले अपील के उत्पाद के लिए निर्धारित डोमेन विशेषज्ञों से एक रिपोर्ट ले सकते हैं।

(3) "जिला अपीलीय प्राधिकारी" पक्ष को सुनने का एक उचित अवसर देने के बाद अपील को प्राथमिकता देने की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर अपील का निपटान करेगा।

(4) अपील में "जिला अपीलीय समिति" का निर्णय, सिविल न्यायालय के आज्ञाप्ति का प्रभाव रखेगा और उसी तरह प्रवर्तनीय होगा तथा आज्ञाप्ति धनराशि भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जायेगी।

दंड

25 (1) यदि प्रायोजक और उत्पादक इस अधिनियम के तहत कोई अपराध करते हैं, तो पक्षों के प्रत्येक सदस्य को अपराध का दोषी माना जाएगा और तदनुसार दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि इस उप- धारा में शामिल कुछ भी, किसी भी व्यक्ति को किसी भी दंड के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराएगा, अगर वह साबित करता है कि अपराध उसके ज्ञान के बिना किया गया था या उसने इस तरह के अपराध को रोकने के लिए पूरी लगन से सभी श्रम किया है।

(2) उप-धारा (1) में निहित कुछ के बावजूद, जहां इस अधिनियम के तहत कोई भी अपराध पक्षों के किसी भी सदस्य द्वारा किया गया है और यह साबित होता है कि अपराध सहमति या मिलीभगत से किया गया है या अपराध का होना, पार्टी के किसी भी सदस्य की ओर से किसी भी उपेक्षा के कारण है, उस अपराध के लिए दोषी माना जाएगा और तदनुसार दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) क्षतिपूर्ति या जुर्माना, जैसा कि मामला उप-धारा (1) के तहत हो सकता है, भूमि के राजस्व के बकाया के रूप में प्रायोजक और निर्माता से वसूल किया जाएगा, जैसा कि विहित किया जाय।

(4) इस अधिनियम के प्राविधानों, नियमों, विनियमों, अधिसूचना, अनुदेशों, निर्देशों, आदेशों या दिशा-निर्देशों के संबंध में कोई भी उल्लंघन होने पर, उस अधिकारी जिसे सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाय, को इस तरह के उल्लंघन के लिए संदेह करने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए एक आवेदन पर, ऐसे अधिकारी द्वारा उस राशि के लिए शमन किया जाएगा जो इस अधिनियम के तहत जुर्माने की राशि का दो गुना हो।

इस धारा के तहत किसी अपराध के शमन पर, इस तरह के अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी, और अगर उस अपराध के संबंध में कोई कार्यवाही पहले से ही किसी भी अदालत में उसके विरुद्ध प्रारम्भ की गई है, तो शमन करने का प्रभाव दोषमुक्ति का होगा।

अध्याय - VI

विविध।

26. (1)अनुबंधित उपज समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 के विनियमन के दायरे से बाहर होगी।

आवश्यक वस्तु अधिनियम

27. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और तत्संबंधी जारी नियंत्रण आदेश या उस समय लागू किसी अन्य कानून में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी स्टॉक सीमा का प्रावधान ऐसे प्रायोजक पर लागू नहीं होगा जो इस विधेयक के अंतर्गत खरीदी गयी मात्रा की सीमा तक उपज की खरीद कर रहा है।

किसी भी पक्ष से समझौते की बकाया राशि की वसूली।

28 . यदि इस विधेयक के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित अनुबंध के लिए किसी भी पक्ष का कोई बकाया है, तो इसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।

उत्पादक को प्रायोजक द्वारा दिये गए ऋण और अग्रिमो की वसूली

29. उत्पादक को प्रायोजक द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम दोनों को प्रक्रिया के अनुसार उत्पाद की बिक्री प्रक्रिया से प्राप्त किया जा सकता है, जैसा कि विहित किया जाये, और किसी भी मामले में, भूमि की बिक्री या बंधक या पट्टे के माध्यम से वसूला नहीं जा सकता है जिसके संबंध में समझौता किया गया है।

सदभाव में की गयी कार्यवाही का संरक्षण

30.(1) **इस विधेयक अथवा इसके अन्तर्गत बनाये गये किसी नियम के अनुसरण में सदभाव में की गई किसी भी कार्यवाही के लिए किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं होगी।**

(2) **बोर्ड द्वारा इस विधेयक के तहत किया गया कोई भी कार्य या कार्यवाही किसी रिक्ति या उसके गठन में दोष या अनियमितता के कारण या उसकी बैठक में किसी सदस्य की अनुपस्थिति के आधार पर अमान्य नहीं होगी।**

अनुबन्ध के लिए उपज को प्रतिबन्धित करने के लिए सरकार की शक्ति

31. (1) **सरकार, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में नकारात्मक सूची के लिए उपज की पहचान कर सकती जो वैधानिक और अन्य असाधारण कारण (कारणों) से, जो उसमें निर्दिष्ट हो, निर्दिष्ट अवधि लिए अनुबंध खेती के लिए प्रतिबंधित होगी:**

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के तहत कोई भी अधिसूचना 30 दिनों से कम समय के पूर्व नोटिस के साथ सरकारी गजट में प्रकाशित किए बिना जारी नहीं की जाएगी, जैसा कि सरकार

इस तरह की अधिसूचना जारी करने के अपने आशय को उचित समझे।

(2) सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी भी उत्पाद को शामिल करने या हटाने के लिए, जैसा उसमें निर्दिष्ट हो, अनुसूची की नकारात्मक सूची में संशोधन कर सकती है, और इसके बाद अनुसूची की नकारात्मक सूची तदनुसार संशोधित मानी जायेगी।

नियम बनाने की शक्ति

32. (1) सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सरकार, इस विधेयक के प्रावधानों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस विधेयक के अन्तर्गत बनाये गये सभी नियमों को राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र

33. इस विधेयक या उसके द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा सशक्त किसी भी बोर्ड द्वारा निष्पादित में, जिसका संज्ञान लिया जा सकता है। किसी भी सिविल न्यायालय के पास किसी भी मामले के संबंध में किसी भी मुकदमे या कार्यवाही को करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

विधेयक का अधिभावी प्रभाव

34 .इस विधेयक के प्राविधान इस विधेयक के अलावा किसी अन्य कानून में लागू होने वाले किसी भी कानून में निहित किसी भी असंगत प्रभाव के बावजूद प्रभावी होंगे।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

35. यदि इस विधेयक के किसी भी प्रावधान को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, जैसी आवश्यकता हो, इस विधेयक के प्रावधान के सुसंगत ऐसा कार्य करेगी जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या उपयोगी हो।

बचत

36. इस विधेयक में निहित सुसंगत प्राविधान न तो किसी भी क़ानून, अधिनियम या विनियमन के प्रावधानों को और न ही व्यापार की कोई भी प्रथा, या कोई भी घटना या कोई भी अनुबंध जो इस विधेयक के प्रावधानों के साथ असंगत है को प्रभावित करेगा, जिसे इसके द्वारा स्पष्ट रूप से निरसन नहीं किया गया है ।

;

अनुसूची

[धारायें 3, 19(1) (ग), देखें]

कृषि उपज का वर्ग	*कृषि उपज का नाम*
(1)	*(2)*
i. अनाज	1. धान
	2. चावल (सभी रूपों में)
	3. गेंहू (सभी रूपों में)
	4. ज्वार (सभी रूपों में)
	5. बाजरा (सभी रूपों में)
	6. रागी (सभी रूपों में)
	7. मक्का (सभी रूपों में)
	8. मंडुवा (सभी रूपों में)
	9. जई (सभी रूपों में)
	10. ककुन (सभी रूपों में)
	11. कोदों (सभी रूपों में)
	12. कटुकी (सभी रूपों में)
	13. सावन (सभी रूपों में)
ii. दालें	1. अरहर (सभी रूपों में)
	2. उड़द (सभी रूपों में)
	3. मूंग (सभी रूपों में)
	4. चना (सभी रूपों में)
	5. मटर (सभी रूपों में)
	6. मसूर (सभी रूपों में)
	7. राजमा (सभी रूपों में)
	8. सोयाबीन (सभी रूपों में)
	9. कुलथी (सभी रूपों में)
iii. तिलहन	1. मूंगफली (फली और दाने)
	2. तिल
	3. अरंडी (फली या बीज)
	4. सूरजमुखी (बीज या दाने)
	5. बिनौला।
	6. सरसों (बीज)
	7. नाइजर के बीज।

अनुसूची

[धारायें 3, 19(1) (ग), देखें]

कृषि उपज का वर्ग	*कृषि उपज का नाम*
(1)	*(2)*
	8. नीम के बीज
	9. कुसुम
iv. फाइबर	1. कॉटन (कपास, लिंट, वेस्ट)
v. सब्जियाँ	1. बैंगन
	2. भिंडी
	3. आलू
	4. प्याज
	5. लौकी (चिचिंडा, करेला, लौकी, कद्दू या, तोरई, गोल लौकी, पेठा, परवल)।
	6. टमाटर
	7. मोरिंगा (सहजन)
	8. सभी प्रकार का हरा साग
	9. हरी मिर्च
	10. रतालू (सभी प्रकार)
	11. बंदगोभी
	12. फूलगोभी
	13. मूली (सभी प्रकार)
	14. गाजर
	15. बीन (सभी प्रकार)
	16. शकरकंद
	17. हरा केला
	18. गांठ गोभी
	19. शलजम
	20. हरी मटर
	21. ग्वार फली
	22. चुकंदर
	23. खीरा

अनुसूची

[धारायें 3, 19(1) (ग), देखें]

कृषि उपज का वर्ग		*कृषि उपज का नाम*
(1)		*(2)*
		24. **कटहल**
		25. **घुइयाँ या अरबी**
		26. **सलाद पत्ता**
		27. **बंडा**
		28. **सिंघाड़ा**
		29. **मशरूम**
		30. **लोबिया हरी**
vi.	**फल**	1. **केला**
		2. **आम** (**सभी रूपों में**)
		3. **अमरूद**
		4. **अंगूर**
		5. **नींबू (सभी रूपों में)**
		6. **अनार**
		7. **तरबूज व खरबूज** (**सभी प्रकार**)
		8. **अन्नास**
		9. **नाशपाती**
		10. **आलू बुखारा**
		11. **पपीता**
		12. **चीकू**
		13. **शरीफा**
		14. **आंवला**
		15. **मीठा संतरा** (**माल्टा**)
		16. **स्ट्रॉबेरी**
		17. **फालसा**
		18. **बेर**

अनुसूची

[धारायें 3, 19(1) (ग), देखें]

कृषि उपज का वर्ग	*कृषि उपज का नाम*
(1)	*(2)*
	19. **बेल**
	20. **कटहल (पका हुआ)**
	21. **कमरख**
	22. **करोंदा**
	23. **जामुन**
vii **पुष्प**	**1. गुलाब (सभी प्रकार के)**
	2. जरबेरा (सभी प्रकार के)
	3. लिलियम (सभी प्रकार के)
	4. गेंदा (सभी प्रकार के)
	5. ग्लेडियोलस (सभी प्रकार के)
	6. गुलदावदी (सभी प्रकार के)
	7. रजनीगंधा
	8. कैलेन्डयुला
	9. गुड़हल (सभी प्रकार के)
viii. ड्रग्स और नारकोटिक्स	**सभी रूपों में तंबाकू**
xi. **कंद**	**टैपिओका-कंद, टैपिओका चिप्स, टैपिओका आटा, टैपिओका स्टार्च।**
x **मसाले**	1. **मिर्ची या लाल मिर्ची**
	2. **लहसुन**
	3. **हल्दी (सभी रूपों में)**
	4. **धनिया (धनिया बीज)**
	5. **दालचीनी**
	6. **इमली (सभी रूपों में)**
	7. **अदरक (सभी रूपों में)**

अनुसूची

[धारायें 3, 19(1) (ग), देखें]

कृषि उपज का वर्ग	*कृषि उपज का नाम*
(1)	*(2)*
	8. **पान के पत्ते**
xi **पशुपालन उत्पाद**	1. **मक्खन**
	2. **पशु**
	3. **अंडे**
	4. **घी**
	5. **बकरी**
	6. **चमड़ा और खाल**
	7. **दूध**
	8. **पनीर**
	9. सुअर
	10. **कुक्कुट**
	1**1**. **भेंड़**
	1**2**. **ऊन**
	13. गोश्त
	14. सुअर का बाल
xii. **मधुमक्खी पालन**	**शहद**
xiii. **मछली पालन**	**मछली**
xiv. **वन उत्पाद**	1. **बांस**
	2. **बीड़ी के पत्ते**
	3. **लाख**
	4. **गोंद**
xv. **रेशम उत्पादन**	1. **ककून**
	2. **रेशम का धागा**

अनुसूची

[धारायें 3, 19(1) (ग), देखें]

कृषि उपज का वर्ग	*कृषि उपज का नाम*
(1)	*(2)*
xvi. **वन उत्पादन**	1.**गोंद**
	2. लकड़ी (उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोगी सभी पेड़ों की प्रजातियां)
	3. तेन्दू की पत्ती
	4. लाख
	5. रीठा
xvii. **विविध**	**1. गुड़ (सभी रूपों में)**
	2. मिन्ट (सभी रूपों में)